

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

क्रमांक: प.2(06)खान/ग्रुप-1/2012

—: आदेश :-

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित रसायनज्ञ को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से रसायनिक एवं सेरेमिक अभियन्ता के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री बृज किशोर कुण्डारा (अ.जा.)	2018-19	01.10.2018	2018-19	2018-19

उक्त अधिकारी पदोन्नति पर पद रिक्ति उपलब्ध होने की दिनांक 01-10-2018 को निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नसीरुद्दीन कुरैशी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.2(02)खान/ग्रुप-1/2018

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

—: आदेश :-

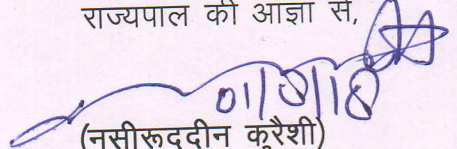
राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू) की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित खान कार्यदेशक-प्रथम को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से भूवैज्ञानिक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान (सेवानिवृत्त)	2012-13	2012-13	2012-13
2.	श्री सुरेश व्यास (सेवानिवृत्त)	2013-14	2013-14	2013-14
3.	श्री माधव लाल अग्रवाल (सेवानिवृत्त)	2013-14	2013-14	2013-14
4.	श्री मधुसूदन भट्ट	2013-14	2013-14	2013-14

क्रम संख्या-4 में अंकित अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

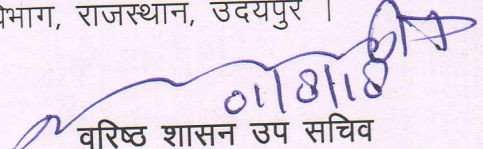
नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.2(02)खान/ग्रुप-1/2018

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

—: आदेश :-

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित खनि कार्यदेशक-प्रथम को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से भूवैज्ञानिक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री धर्मनारायण लौहार (सेवानिवृत्त)	2014-15	01.04.2014	2014-15	2014-15
2.	श्री अमृत लाल पूर्बिया (सेवानिवृत्त)	2014-15	01.04.2014	2014-15	2014-15
3.	श्री कैलाश नारायण शर्मा (सेवानिवृत्त)	2015-16	01.04.2015	2015-16	2015-16
4.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त)	2016-17	01.04.2016	2016-17	2016-17

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

क्रमांक: प.1(08)खान/ग्रुप-1/2012

—: आदेश :—

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू) की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित खनि कार्यदेशक-प्रथम (डिप्लोमाधारी) को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से सहायक खनि अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री कान्तिलाल परमार(अजजा)	2015-16	2015-16	2015-16
2.	श्री जगदीशप्रसाद बागड़ी(अजा)	2015-16	2015-16	2015-16
3.	श्री भागचन्द खटीक(अजा)	2015-16	2015-16	2015-16
4.	श्री सुरजाराम मीणा(अजजा) (स्वर्गवास)	2015-16	2015-16	2015-16
5.	श्री भवंरलाल लबाना(अजजा)	2015-16	2015-16	2015-16
6.	श्री अरुण कुमार सिरवी	2015-16	2015-16	2015-16
7.	श्री राकेश कांठेड़	2015-16	2015-16	2015-16
8.	श्री राजेन्द्र कुमार भट्ट	2016-17	2016-17	2016-17
9.	श्री सोहन लाल गुरु (अजा)	2017-18	2017-18	2017-18
10.	श्री संजय शर्मा	2017-18	2017-18	2017-18

क्रम संख्या-1,2,,5,6,7,8,9 व 10 पर अंकित अधिकारीगण अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे ।

क्रम संख्या-3 पर अंकित अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई है के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नसीरुद्दीन कुरैशी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।
- संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.2(02)खान/ग्रुप-1/2018

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

—: आदेश :-

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित खनि कार्यदेशक-प्रथम (डिप्लोमाधारी) को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से सहायक खनि अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री बंशीलाल सुथार	2018-19	01.04.2018	2018-19	2018-19

उक्त अधिकारी अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

01/08/18
(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

01/08/18
वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.2(02)खान/ग्रुप-1/2017

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

—: आदेश :-

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित भूवैज्ञानिकों को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री सैयद फारुक अली (सेवानिवृत्त)	2016-17	01.04.2016	2016-17	2016-17
2.	श्री मनीष माथुर	2017-18	01.04.2017	2017-18	2017-18
3.	श्री अखिलानन्द भार्गव	2017-18	01.04.2017	2017-18	2017-18
4.	श्री छैल बिहारी पूरबिया	2017-18	01.04.2017	2017-18	2017-18

क्रम संख्या-1 पर अंकित अधिकारी के अतिरिक्त अन्य उक्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(09)खान/ग्रुप-1/2017

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

—: आदेश :-

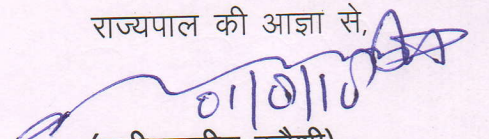
राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अधीक्षण खनि अभियन्ता को उनके सम्मुख अंकित रिक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त निदेशक, खान के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री दीपक तंवर	2018-19	01.07.2018	2018-19	2018-19

उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

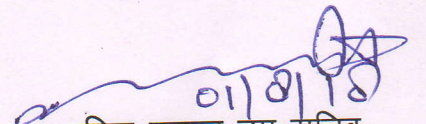
नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.2(08)खान/ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

—: आदेश :—

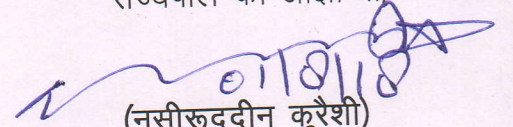
राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अधीक्षण भूवैज्ञानिकों को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री वी.के. वैष्णव	2017-18	01.04.2017	2017-18	2017-18
2.	श्री एस.एन. डोडिया (अ.जा.)	2018-19	01.04.2018	2018-19	2018-19
3.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	2018-19	01.04.2018	2018-19	2018-19
4.	श्री बी.एस. राठौड	2018-19	01.08.2018	2018-19	2018-19
5.	श्री अजय शर्मा	2018-19	01.08.2018	2018-19	2018-19

उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

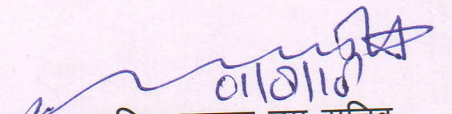
नोट:- 1. उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. | विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। |
2. | निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग। |
3. | सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। |
4. | निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें। |
5. | संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर। |
6. | निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली। |


वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.2(01)खान/ग्रुप-1/2017

जयपुर दिनांक: 01.08.2018

—: आदेश :—

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित वरिष्ठ भूवैज्ञानिकों को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से अधीक्षण भूवैज्ञानिक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	विभाग में पद रिक्ति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	पदोन्नति के लिये योग्यता वर्ष	आवंटित पदोन्नति वर्ष
1.	श्री आशुतोष भारद्वाज	2017-18	01.04.2017	2017-18	2017-18
2.	श्री आलोक प्रकाश जैन	2017-18	01.04.2017	2017-18	2017-18
3.	श्री राज कुमार शर्मा	2017-18	01.04.2017	2017-18	2017-18
4.	श्री सुनील कुमार (अ.जा.)	2018-19	01.04.2018	2018-19	2018-19
5.	श्री एन.पी.सिंह	2018-19	01.04.2018	2018-19	2018-19
6.	श्री संजय कुमार मिण्डा	2018-19	01.04.2018	2018-19	2018-19

उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नसीरुद्दीन कुरैशी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें ।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव